झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान हेतु छात्र संख्या एवं अन्य कागजात के सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 46/2020

एतद् द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 234276 दिनांक 14.10.2020 में दिए गए निदेश के आलोक में स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान हेतु आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किया गया है। परिषद् को यह निदेश दिया गया है कि अनुदान के लिए आवेदित इंटर महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र संख्या एवं विगत तीन माह का औसत उपस्थिति के आधार पर ही छात्र संख्या को सत्यापित करते हुए आवेदन को अग्रसारित कर ससमय ऑनलाईन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

विज्ञप्ति में दिए गए निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान हेतु आवेदित स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के आवेदन को अग्रसारित करने हेतु निम्न कागजात (मूल प्रति एवं दो प्रतियों में सत्यापित छायाप्रति) के साथ सत्यापन कराना आवश्यक है:–

(क) अनुदान के लिए ऑनलाईन जमा किए गए सानुलग्नक आवेदन प्रपत्र की सत्यापित हार्डकॉपी।

(ख) स्थापना अनुमति एवं स्थायी प्रस्वीकृति से संबंधित निर्गत पत्र की सत्यापित छायाप्रति तथा संकायवार स्वीकृत सीट से संबंधित पत्र की छायाप्रति।

(ग) सत्र 2020–22 (प्रथम वर्ष) में नामांकित/पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या तथा सत्र 2019–21 (द्वितीय वर्ष) में पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या (नामांकन पंजी सहित)।

(घ) विगत तीन माह की औसत उपस्थिति (छात्र–छात्राओं की उपस्थिति पंजी सहित) या कोविड–19 के मद्देनजर महाविद्यालय द्वारा चलाये गये ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित शपथ पत्र (नोटरी)।

(ड.) वार्षिक इंटर परीक्षा, 2020 के संकायवार परीक्षाफल का प्रतिशत (साक्ष्य सहित)।

(च) विगत वर्ष (2019–20) में प्राप्त अनुदान के वितरण से संबंधित बैठक की कार्यवाही तथा अनुदान वितरण से संबंधित साक्ष्य (यथा–बैंक को भेजी गई राशि का ब्यौरा, बैंक स्टेटमेन्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र)।

(छ) विद्यालय या महाविद्यालय के एक ही परिसर में नहीं चलने से संबंधित शपथ पत्र (नोटरी)।

(ज) पूर्ण शासी निकाय गठन से संबंधित पत्र।

(झ) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुदान हेतु पोर्टल में दिए गए निर्देश में अंकित "**आवेदन हेतु संस्था की पात्रता-III**, इंटर महाविद्यालयों के लिए" में अंकित शर्त्तों से संबंधित सभी कागजात दो प्रतियों में।

कागजात सत्यापन हेतु निर्धारित जिलावार कार्यक्रम:-

क्र.सं.	दिनांक	जिला का नाम
01.	06.12.2020 (रविवार)	बोकारो एवं धनबाद
02.	07.12.2020 (सोमवार)	हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा,चतरा एवं गिरिडीह
03.	08.12.2020 (मंगलवार)	दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा एवं जामताड़ा
04.	09.12.2020 (बुधवार)	पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां
05.	10.12.2020 (गुरूवार)	राँची,खुंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला
06.	11.12.2020 (शुक्रवार)	पलामू, गढ़वा, लातेहार

उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को संबंधित जिला के इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य निश्चित रूप से परिषद् कार्यालय में उपस्थित होकर सभी कागजातों, उपस्थिति पंजी एवं नामांकन पंजी के साथ परिषद् कार्यालय, राँची में सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। **साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के अन्दर ऑनलाईन जमा किए गए आवेदन को ससाक्ष्य सत्यापित कर दो प्रतियों में सत्यापन तिथि को ही परिषद् में जमा करेंगे।** सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उनके अनुदान के लिए आवेदित आवेदन को अग्रसारण योग्य नहीं माना जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त सत्यापन के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा।

ध्यातब्य हो कि परिषद् उसी आवेदन को अग्रसारित करने में सक्षम है जिसका आवेदन ऑनलाईन परिषद् के स्तर पर उपलब्ध होगा। निदेशालीय विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 234276 दिनांक 14.10.2020 में दिए गए निदेश का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/ कॉ.स्था./3419/20/SECY/469/20
Dt. 04.12.2020
D.O.P: 05.12.2020